को सील करते ही अयोध्या स्थित धर्मस्थल में बेम-प्रतिमाओं की पूजा-अर्चना और दर्शन पर रोक लगा दी थी ;

(ग) यदि हां तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं की पूजा-अर्चना, आरती और भोग आदि की व्यवस्था के लिए नियुक्त व्यक्ति का नाम क्या है और किन परिस्थितियों के कारण प्रशासन को देव-प्रतिमाओं की पूजा-अर्चना, भोग, आरती तक को बन्द कर देना पड़ा था ?

गृह मंत्री (एस०बी० चव्हाण) (क) से (घ) 6 दिसम्बर, 1992 की घटनाओं के बाद अयोध्या में व्यापक स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू लगाए जाने सहित दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेधाज्ञा को कड़ाई से लागू करना पड़ा । प्रतिबंधों की इस अवधि के दौरान जनता, अयोध्या में विवादित स्थल पर देव-मूर्तियों के "दर्शन" नहीं कर सकी । दिनांक 8 दिसम्बर, 1992 को कुछ घण्टों के लिए पुजारियों द्वारा की जाने वाली देव-मूर्तियों की पूजा में भी व्यवधान आया । इसके बाद, 8 दिसम्बर को तथा उसके बाद, पांच अभिहित पुजारियों को अस्थाई ढांचे में नैत्यिक समयों पर मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति दी जाती है । इन पांच पुजारियों के नाम हैं सर्व श्री सत्येन्द्र दास, सुशील कुमार राय, संतोष कुमार तिवारी, सुशील चन्द्र त्रिपाठी तथा विनय कुमार पाण्डेय ।

अयोध्या के विवादित स्थल से रामलला का चोरी होना

4233. **श्री सुरेश पचौरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयोध्या के विवादित स्थल पर रखी रामलाला की मूर्तियां गायब कर दी गई हैं, जैसा कि वहां पूजा कर रहे महंत लालदास ने शिकायत की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या महंत भास्कर दास ने भी इसी परिसर से अन्य कीमती सामान के चोरी होने की शिकायत की है : यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या जिला प्रशासन ने मलबे में पड़ी मूर्तियां बरामद की हैं, यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) और (ख) बाबा लाल दास, जो कि कार्यवाहक पुजारी नहीं हैं, द्वारा की गई इस शिकायत की, कि 6 दिसम्बर, 1992 को हुई गड़बड़ी के दौरान राम लला की मूर्तियां चुरा ली गई थी तथा उन्हें बदल दिया गया है, की जांच की गई है और उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी है ।

(ग) भारत सरकार को महंत भास्कर दास से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

Construction of offshore platforms for Ratna Oilfield

4234. SHRI ANANT RAM JAISWAL: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the contract for construction of off-shore platforms for Ratna Oilfield has been awarded to Mazagaon Dock Limited without opening the tender bid of Hindustan Shipyard Limited; if so, the reasons therefor;

(b) what are the names of other companies who participated in the tender bid and what is the prices quoted by each of them including Hindustan Shipyard Limited;

(c) whether it is also a fact that Hindustan Shipyard Limited had earlier constructed a number of platforms for ONGC and these platforms have been found satisfactory; and